बिहार सरकार
वित्त (अंकेक्षण) विभाग
बिहार, पटना।

अंकेक्षण प्रतिवेदन सं0 – 50/14–15

1. परिचयात्मक :–

(क)	अंकेक्षित लेखा का नाम –	जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय मधुबनी के राजस्व प्राप्ति लेखा का अंकेक्षण।
(ख)	अंकेक्षणान्तगर्त्त लेखावधि –	वर्ष–1997–98 से 2012–13 तक
(ग)	प्रशासी विभाग का नाम –	गृह (आरक्षी) विभाग, बिहार, पटना।
(घ)	अंकेक्षित अवधि के नियंत्री पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं कार्यकाल–	1. श्री मो0 शहाव अख्तर, पुलिस सेवा दि0–29.3.97 से 26.11.98 तक 2. श्रीमती प्रीता वर्मा ,, दि0 – 27.11.98 से 9.11.99 तक 3. श्री रामचन्द्र ,, दि0 – 9.11.99 से 7.7.2000 तक। 4. श्री पीयुस अमृत कु0 बैंक ,, दि0 – 7.7.2000 से 6.12.2000 तक 5. ,, विमलेश प्र0 सिन्हा ,, दि0–6.12.2000 से 7.10.02 तक 6. ,, डा0 गणेश प्रसाद वर्मा ,, दि0–9.10.02 से 10.8.04 तक 7. श्रीमति अनुपमा एसनिलेकर ,, दि0–10.8.04 से 29.6.06 तक 8. ,, अमृत राज ,, दि0–30.6.06 से 31.3.08 तक 9. ,, राकेश राठी ,, दि0–31.3.08 से 27.7.09 तक 11. ,, सौरभ कुमार ,, दि0–7.7.10 से 28.9.10 तक

		12. ,, अजिताभ कुमार ,, दि0–29.9.10 से 14.12.10 तक 13. ,, सौरभ कुमार ,, दि0–15.12.10 से 12.10.12 तक 14. ,, रंजीत कुमार मिश्र ,, दि0–13.10.12 से 23.1.14 15. ,, नवीन चन्द्र झा ,, दि0–27.1.14 से 1.7.14 तक 16. ,, मो0 एस0 रहमान दि0–2.7.14 से अद्यतन।
(ड़)	अंकेक्षित अवधि के लेखा प्रभारी पदा0 का नाम, पदनाम एवं कार्यकाल –	1. श्री सतीश कुमार – आरक्षी उप अधीक्षक दि0–31.3.97 से 27.11.98 तक 2. ,, उमा शंकर सुधासु ,, दि0–28.11.98 से 5.5.99 तक 3. ,, लाल वहादुर सिंह ,, दि0–6.5.99 से 11.8.2000 तक 4. ,, नरेश प्रसाद सिंह ,, दि0–12.8.2000 से 16.8.2000 तक 5. ,, शिव शंकर ,, दि0–17.8.2000 से 6.9.2000 तक 6. ,, नरेश प्रसाद सिंह ,, दि0–7.9.2000 से 2.5.03 तक 7. ,, मेहदी अब्वास ,, दि0–3.5.03 से 7.10.03 तक 8. ,, लाल बहादुर सिंह ,, दि0–8.10.03 से 2.3.04 तक 9. ,, मेहदी अव्वास ,, दि0–3.3.04 से 11.8.04 तक 10. ,, अमन केगारी ,, दि0–12.8.04 से 29.3.05 तक 11. ,, मोहम्द रहमान ,, दि0–30.3.05 से 2.6.05 तक

		12. ,, हरिनन्दन प्रसाद ,, दि0—3.6.05 से 27.9.07 तक 13. ,, विकास कुमार ,, दि0—28.9.07 से 25.2.09 तक 14. ,, शिला इरानी ,, दि0—26.2.09 से 30.7.09 तक 15. ,, संजय कुमार सिंह ,, दि0—31.7.09 से 8.6.10 तक 16. ,, उपेन्द्र प्रसाद सिंह ,, दि0—9.6.10 से 20.10.11 तक 17. ,, सकी खलिका ,, दि0—21.10.11 से 1.12.13 तक 18. ,, डा0 संजय भारती ,, दि0—2.12.13 से 27.1.14 तक 19. ,, अजय कुमार पाण्डे ,, दि0—28.1.14 से अद्यतन।

<u>प्रधान लिपिक :—</u>

(1)	श्री काशी नाथ दास—प्रधानलिपिक	दि0—1.2.97 से 1.4.2000 तक
(2)	,, जावेद अख्तर — ,,	दि0—2.4.2000 से 16.5.07 तक
(3)	,, अनिरूद्ध लाल दास — ,,	दि0—17.6.07 से 28.2.11 तक
(4)	,, जवेद अख्तर — ,,	दि0—1.3.11 से 7.9.11 तक
(5) (6)	,, दशरथ पासवान — ,, ,, मुरारी राम — ,,	दि0—8.9.11 से 11.8.13 तक दि0—12.8.13 से अद्यतन।

<u>लेखापाल :—</u>

(1)	श्री जावेद अख्तर लेखापाल —	दि0—1.4.96 से 27.3.99 तक
(2)	,, कन्हैया जी राय ,,	दि0—27.3.99 से 11.10.06 तक
(3)	,, राकेश कुमार द्वेवदी ,,	दि0—12.6.06 से 25.2.09 तक
(4)	,, जावेद अख्तर ,,	दि0—26.2.09 से 7.9.11 तक

(5)	,, दशरथ पासवान ,,	दि0–8.9.11 से 31.7.12 तक
(6)	,, वोदमनी झा ,,	दि0–1.8.12 से 4.12.12 तक
(7)	,, दशरथ पासवान ,,	दि0–5.12.12 से 12.8.13 तक
(8)	,, इमाम मेहदी ,,	दि0–13.8.13 से अद्यतन।
(च)	अंकेक्षण में सहयोग देने वाले पदाधिकारी/कर्मचारी का नाम एवं पदनाम	(1) श्री मुरारी राम, प्रधान लिपिक (2) ,, इमाम मेहदी, लेखापाल
(छ)	अंकेक्षको के नाम –	(1) श्री नागेन्द्र सिंह, व0अं0–1 (2) ,, श्रीमति कुमारी माला सिन्हा, व0अं0–2
(ज)	अंकेक्षण प्रारम्भण तिथि –	दि0–11.2.14
(झ)	अंकेक्षण समाप्ति तिथि –	दि0–31.7.14
(ञ)	अंकेक्षण में व्यतीत कार्य दिवस–	31.5 कार्य दिवस औसतन
(ट)	अंकेक्षण में प्रस्तुत एवं अप्रस्तुत अभिलेखो की सूची :–	अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट 'क' पर अंकित है।

(2) अंकेक्षण का क्षेत्र – पुलिस महानिरीक्षक मु0, पटना के पत्रांक 4897 दिनांक–25.10.13 द्वारा किए गये अभियाचना के आलोक में वित्त (अं0) विभाग के विभागीय ज्ञापांक 3286 दि0–15.9.60 एवं कार्यालय आदेश सं0 13 वि0 अं0 दि0–22.1.14 में निहित निदेशानुसार आरक्षी अधीक्षक कार्यालय के विभिन्न मदो में प्राप्त राजस्व प्राप्तियों के सम्बन्ध में प्राप्त रोकड़ पुस्त एवं अन्य अभिलेखो से वर्ष 1997–98 से 12–13 तक का किया गया प्राप्त राजस्व राशियों से सम्बन्धित मद गैर सरकारी संस्था, दखल देहानी, विभिन्न व्यक्तियो के अंगरक्षक के मद में प्रतिनियुक्ति के विरूद्ध प्राप्त राशि) से सम्बन्धित अन्य संचिकाओं की जॉच की गई।

(3) कार्यालय का कार्यक्षेत्र :– जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा निधि व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालन तथा पूरे जिले में सुरक्षा को देखते हुए समीक्षा कर सुरक्षा प्रदान करना तथा सभी थाना कार्यालय का निरीक्षण तथा उसके विधि व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए सभी थानादारों के किए गए कार्यकलापों की समीक्षा करना हैं। साथ ही स्थापना से सम्बन्धित कार्यो का निष्पादन करना। साथ ही सुरक्षा वल की प्रतिनियुक्ति से प्राप्त राजस्व की राशि को रोकड़पुस्त संधारण कर कोषागार में जमा किया जाता है।

(4) <u>वित्तीय स्त्रोत</u> – आवंटन

(5) कोषागार अभिलेखो से सत्यापन की स्थिति :–

(क) शत् प्रतिशत् सत्यापन किया गया – इस अवधि में कार्यालय द्वारा राजस्व प्राप्त जमा राशियों का सत्यापन जिला कोषागार मधुबनी के राजस्व प्राप्ति अभिलेखो से किया गया एवं सही पाया।

(ख) आंशिक सत्यापन किया गया – नहीं।

(ग) सत्यापन किया गया – किया गया।

(6) महालेखाकार के पूर्व निरीक्षण प्रतिवेदन का अनुपालन की स्थिति :–

महालेखाकार के पूर्व निरीक्षण प्रतिवेदन अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया।

(7) वित्त (अंकेक्षण) विभाग के पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदन का अनुपालन की स्थिति :–

प्रधान लिपिक द्वारा मौखिक रूप से बताया गया की वित्त (अं0) विभाग का अंकेक्षण प्रतिवेदन नहीं है। इसलिए पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदन अनुपालन का प्रश्न नहीं उठा।

<u>(3) वित्तीय समीक्षा :–</u>

अंकेक्षित अवधि वर्ष 97–98 से 12–13 तक में विभिन्न चार मदों से प्राप्त राजस्व से सम्बन्धित वर्षवार आय–व्यय विवरणी परिशिष्ट (ख) पर अंकित है।

मांग एवं संग्रहण विवरणी एवं अवशेष तथा वर्षवार आय–व्यय विवरणी कार्यालय द्वारा उपलब्ध नही करायी गयी। फलतः रोकड़ पुस्त, आरसी वुक एवं अन्य अभिलेखों के आधार पर वास्तविक आय राशि की विवरणी अंकित की गई। विवरणी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि कुछ वित्तीय वर्षो में कम राजस्व की प्राप्ति की गयी, जो अनियमित रूप से वैंक में रखे जाने एवं प्रतिनियुक्त सुरक्षा कर्मियों के विरूद्ध राशि जमा नहीं किए जाने के फलस्वरूप राजस्व की क्षति हुई जो इस प्रतिवेदन के अन्य कंडिकाओं के रूप में उल्लेखित है।

सरकार का ध्यान उपर्युक्त पुलिस राजस्व के प्रति कार्यालय के कृत्य एवं सुरक्षा वलों पर होने वाले वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति राशियों की वसूली हेतु विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है। वास्तविक व्यय के अनुरूप राजस्व प्रतिपूर्ति हेतु आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चत की जाय।

भौतिक सत्यापन – रोकड़ पंजी में संवरण शेष का भौतिक सत्यापन की स्थिति :–

वित्त (अं0) विभाग ज्ञापांक 503 दि0 27.1.76 के अनुसार अंकेक्षण प्रारम्भण तिथि 11.2.14 के सामान्य रोकड़ पुस्त के संवरण शेष का निकासी एवं व्ययन पदा0 द्वारा भौतिक सत्यापन नही कराया गया तथा दिनांक 11.2.14 के रोकड़ पुस्त में संवरण शेष निम्न प्रकार पाया गया।

दिनांक 11.2.14 का रोकड़ पुस्त का संवरण शेष की विवरणी।

दि0– 11.2.14 का संवरण शेष – 2227216.00

लम्बित विपत्र – (–) 2034090.00

193126.00

ड्राफ्ट के रूप में – 192974.00

नगद – 152.00

कुल योग – 1,93,126.00

लम्वित विपत्र रू0 2034090.00 का विवरण।

विपत्र सं0 वेतन 641642 एवं 645/13–14	–	1285762.00
विविध विपत्र सं0 643/13–14	–	586872.00
यात्रा भत्ता 644/13–14	–	40260.00
प्राप्त राजस्व –	–	500.00
" "	–	120696
		20,34,090.00

(1) दिनांक–11.2.14 के रोकड़ पुस्त के संवरण शेष में राशि रू0 2034090.00 लम्वित पाया गया जिसमें प्राप्त राजस्व के रूप में कुल राशि 121196.00 (200+300+120696) था। जिसमें रू0 200.00 दूसरे राज्य से लोक सूचना अधिकार शुल्क से प्राप्त हुआ था, जिसमें रू0 200.00 दूसरे राज्य से लोक सूचना अधिकार शुल्क से प्राप्त हुआ था, जिसमें रू0 200.00 का ड्राफ्ट क्लीयरनेस नही होने के कारण उसे लौटा दिया गया भौतिक सत्यापन नही होने के कारण स्पष्ट नही हो सका कि किस राज्य से रू0 200.00 शुल्क के रूप में

प्राप्त हुआ था। शेष राशि रू0 120996 (300+120696=120996) प्राप्त राजस्व अंकेक्षण के आपत्ति पर कोषागार में जमा किया। जिसका कंडिका अलग से अंकित किया गया है।

(2) संवरण शेष में वित्तीय वर्ष 07–08 से ही राशि रू0 192974.00 वैक ड्राफ्ट के रूप में लम्बित पड़ा पाया गया। समय पर ड्राफ्ट को भुनाया नही जा सका। फलतः जिस कार्य हेतु रकम भेजे गये थे उसकी उपयोगिता अव नही रही। उक्त सभी ड्राफ्टों का निराकरण कर उचित शीर्ष में जमा कर दी जाय।

इस हेतु विभाग का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है कि सम्बन्धित पदा0 से स्पष्टीकरण सहित आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है। कृत कार्रवाई प्रतिफल से वित्त (अं0) विभाग बिहार, पटना को भी सूचित की जाय।

(4) अंकेक्षित कार्यालय के स्वीकृत/कार्यरत/रिक्त पदों का विवरणी :–

इस कार्यालय का स्वीकृत एवं कार्यरत वल की स्थिति का विवरण प्रतिवेदन के परिशिष्ट (ग) पर उललेखित है।

<u>भाग – 2</u>

(5) रू0 62,77,270.00 भारतीय स्टेट बैंक झंझापुर के वकाया राजस्व प्रतिपूर्ति राशि वसूली योग्य :–

अंकेक्षित लेखा वर्ष में बैंकिग संस्थानो में नियमित रूप से प्रतिनियुक्त सुरक्षा बलों से सम्बन्धित प्रस्तुत राजस्व रसीदो एवं वैक गार्ड प्रतिनियुक्ति पंजी की जॉच में पाया कि भारतीय स्टेट बैंक, झंझारपुर मधुबनी के मुद्रा तिजोरियो (Cash Chest) की अभिरक्षा हेतु 1–4 सेक्शन सुरक्षा बलों का प्रतिनियुक्त किया पाया गया। इससे सम्बन्धित लंबित पुलिस राजस्व की जॉच हेतु संधारित अभिलेख नही पाया गया, जिससे बकाया लंबित राजस्व स्पष्ट हो सके। परन्तु राजस्व रसीदो (आर0सी0बुक) के अनुसार दिनांक–18.4.08 को आर0सी0सं0 3 दिनांक–18.4.08 द्वारा रू0 1685899.00 भुगतान किया गया था। आर0 सी0 बुक के अनुसार शेष वित्तीय वर्ष 08–09 से 13–14 तक का भुगतान लंबित पाया गया, जिसका विवरण परिशिष्ट–'घ' पर अंकित है। इस संदर्भ में आपत्ति निर्गत करने पर उसके अनुपालन में वतलाया गया कि छानबीन कर वैंक से राजस्व बकाया राशि जमा करने के लिए पत्राचार किया जायगा।

अतः भारतीय स्टेट बैंक झंझारपुर, मधुवनी से वित्तीय वर्ष 08–09 से 13–14 तक लंबित क्षतिपूर्ति राशि रू0 6277270.00 वसूल कर कोषागार में जमा की जाय एवं इसकी

सूचना वित्त (अं0) विभाग तथा सरकार का ध्यान उपर्युक्त लंबित राजस्व क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु आकृष्ट किया जाता है।

(6) अनाधिकृत रूप से नियम के विरूद्ध सरकारी अंगरक्षक रखने के कारण निर्धारित प्रतिपूर्ति राशि रू0 4517012.00 वसूली योग्य।

मननीय/महानुभावो को प्रतिनियुक्त अंगरक्षक/हाउस गार्ड से प्राप्त सम्वन्धित संचिकाओ के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि वैसे माननीय जो सासंद/विधायक निर्वाचन के वाद निर्वाचित नहीं हुए, उनसे भी अंगरक्षक/हाउस गार्ड की वापसी नहीं की गई। माननीय उच्च न्यायालय पटना का स्पष्ट निर्देश है कि विभिन्न व्यक्तियों के सुरक्षा व्यवस्था हेतु अंगरक्षक अतिरिक्त सुरक्षा जिला स्तरीय सुरक्षा समिति को अपने संसाधनो से करनी है। परन्तु वड़ी संख्या में अंगरक्षक/हाउस गार्ड अभी भी अनाधिकृत रूप से ऐसे व्यक्यिों के साथ संलग्न है जो इनकेलिए अधिकृत नहीं है।

इसके परिपेक्ष में गृह सचिव के पत्रांक 896 दिनांक–8.8.05 के आलोक में दिनांक–10.10.05 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में वैठक आहूत की गई। जिसमें निर्णय लिया गया कि महामहिम राज्यपाल, माननीय न्यायाधिशो, एक्स वार्ड जेड, जेड स्पेशल एस0 एस0 जी0 एक्ट 2000 के अन्तर्गत विशिष्ट श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त महानुभावो तथा सर्वोच्य न्यायालय या उच्च न्यायालय के आदेश से विशिष्ट सुरक्षा प्राप्त महानुभावों के अतिरिक्त किसी व्यक्ति के साथ बिहार सैन्य पुलिस के हाउस गार्ड या अंगरक्षक या एस्कोर्ट नहीं रहे। बिहार सरकार गृह (आरक्षी) विभाग के पत्रांक 2/जी–102 दिनांक–102 दिनांक–8.8.05 द्वारा अंगरक्षको के प्रतिनियुक्ति के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय पटना दि0 28.6.05 को सी0 डब्लू0 जे0 सी0 7252/2004 आई0एम0ए0 वनाम राज्य द्वारा दिए गए आदेशो के आलोक में निर्णय लिया गया कि जिला स्तरीय सुरक्षा समिति द्वारा अंगरक्षक/हाउस गार्ड की प्रतिनियुक्ति अपने अधिकार क्षेत्र के अधी उपलब्ध संसाधन से किया जाय, वशर्ते उक्त व्यक्ति व्यय को वहन करने में सक्षम हो।

उपर्युक्त निर्णय के आलोक में जिला पदाधिकारी मधुबनी के अध्यक्षता में दिनांक–8. 10.05 के आयोजित जिला सुरक्षा समिति की बैंठक में निर्णय लिया गया कि माननीय उच्च न्यायालय के पारित आदेशानुसार जो व्यक्ति साधन सम्पन्न है, उन्हे भुगतान के आधार पर अंगरक्षक उपलब्ध कराया जाना है। जिसके आलोक में कतिपय पूर्व विधायक/सांसद को अंगरक्षक उपलब्ध कराया गया है। वही दूसरी ओर जिसकी निर्धारित दर पर भी सरकारी खजाने में राजस्व जमा नहीं की जा सकी, जो सरकारी राशि का क्षति का घोतम है। अतः

उक्त नियम के आलोक में माननीय द्वारा प्रतिपूर्ति की निर्धारित कुल राशि रू0 4517012.00 वसूली योग्य है जो परिशिष्ट (ड़) पर अंकित है।

निर्गत आपत्ति के अनुपालन में वतलाया गया कि छानवीन कर कार्रवाई की जायगी।

अतः परिशिष्ट (ड़) में अंकित कुल राशि रू0 4517012.00 दोषी व्यक्ति/पदा0 से वसूली के साथ ही दोषी व्यक्ति पर आवश्यक कार्रवाई भी अपेक्षित है तथा कृत कार्रवाई के प्रतिफल से वित्त (अं0) विभाग बिहार, पटना को भी सूचित की जाय।

(7) रू0 10,04,123.00 वकाया क्षतिपूर्ति राजस्व वसूली योग्य :–

अंकेक्षित लेखा अवधि में पुलिस मुख्यालय के ज्ञापांक 45761 एल–2 बिहार पटना दिनांक 10.9.07 के आलोक में माननीय विधान पार्षद श्री विनोद कुमार सिंह को अंगरक्षक उपलब्ध कराया जाना था।

विधान पार्षद में निर्वाचित होने के पूर्व भुगतान के आधार पर अंगरक्षक प्रदान कराया गया था। इस क्रम में राजस्व रसीद के अनुसार आर0 सी0 सं0–1 दि0 11.7.05 के द्वारा जुलाई 05 तक के लिए पुलिस कार्यालय मधुबनी में राशि रू0 41,400.00 जमा किया गया था। अगस्त 05 से 15.4.09 तक के लिए निर्धारत राशि प्रतिमाह रू0 10350.00 की दर से श्री सिह से कुल वकाया राशि 460575 की मांग की गई। वकाया राशि रहने के बावजूद एक अंगरक्षक का आग्रह किया गया था।

इस प्रकार अन्य अभिलेखो के आधार पर वर्ष 10–11 तक भुगतान के आधार पर दो अंगरक्षक प्रतिनियुक्त पाया गया तथा राजस्व क्षतिपूर्ति राशि रू0 1004123.00 जमा नही पायी गयी, जिसका विवरण परिशिष्ट (च) पर अंकित है। इस सम्बन्ध में आपत्ति निर्गत करने पर अनुपालन में बतलाया गया कि पत्राचार कर वसूली की कार्रवाई की जायगी जो संतोषप्रद जववा नहीं था।

अतः विधान पार्षद श्री सिंह से कुल रू0 1,004123.00 राजस्व क्षतिपूर्ति राशि वसूल कर सरकारी कोष में जमा की जाय। प्रतिफल से वित्त (अं0) विभाग बिहार, पटना को भी सूचित की जाय।

भाग – 3

(8) रू0 120996.00 अंकेक्षण के दृष्टांत पर प्राप्त राजस्व राशि को कोषागार में जमा।

अंकेक्षण प्राराम्भण तिथि 11.2.14 के रोकड़ पुस्त के संवरण शेष की कुल राशि रू0 2227216.00 में रू0 120996 प्राप्त राजस्व की राशि पड़ी पायी गयी इस सम्बन्ध में आपत्ति निर्गत करने पर चालान सं0 38 दि0 15.2.14 से रू0 120696 तथा चालान सं0 239 दि0 12.2.14 से 300.00 यानी कुल राशि रू0 120996.00 (120696+300) कोषागार में जमा किया पाया गया।

(9) निष्प्राय (बेकार) घोषित पुलिस वाहनो को निलामी नही होने के कारण राजस्व की क्षति :–

पुलिस राजस्व से सम्बन्धित अंकेक्षित लेखा वर्ष में निसप्रायोज्य घोषित वाहनो एवं उनके निलामी से सम्बन्धित प्रस्तुत अभिलेखो की जॉच में पाया गया कि कार्यालय पत्रांक 829 दिनांक 27.3.13 के अनुसार मधुवनी जिला बल की दस (10) विभिन्न गाड़ियो को निस्प्रोज्य घोषित किया गया, जिसका विवरण परिशिष्ट 'ज' पर उल्लेखित परन्तु अंकेक्षण समापन तिथि तक सम्बन्धित गाड़ियों की निलामी नही की पायी गई। जिसके कारण वस्तुतः प्राप्त योग्य निलामी मूल्य में ह्रास की क्षति सुनिश्चित हैं।

अतः उच्चधिकारियों विभागों का ध्यान वित्त विभागीय निर्देश के प्रतिकूल की गयी लंबित निलामी के कारण प्राप्त योग्य निलामी मूल्य के रूप में होने वाले राजस्व क्षति की ओर आकृष्ट किया जाता है एवं सुझाव है कि लंबित निलामी के कारण मूल्य में हुई हानि की आकलन आपने स्तर से कराली जाय एवं यथाशीघ्र नीलामी करते हुए विलम्ब से नीलामी के फलस्वरूप राजस्व क्षति की पूर्ति सम्बन्धित दोषियो से सुनिश्चित करने हेतु उचित एवं आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाय, तथा की गई कार्रवाई से वित्त (अं0) विभाग बिहार, पटना को भी अवगत कराया जाय।

(10) ~~(9)~~ नियमानुसार लेखा–अभिलेखो, पंजियों एवं संचिकाओ के समुचित संधारण का अभाव–

(1) सुरक्षा वल/अंगरक्षक प्रतिनियोजन से सम्बन्धित अभिरक्षी पंजी के संधारण का अभाव–

बैको/संस्थानो/प्रतिष्ठानों/माननीय महानुभावो एवं अन्य को पुलिस हस्त के प्रावधान सहित जिला सुरक्षा समिति के निर्णय के आलोक में सुरक्षा वलो/अंगरक्षको को की गयी प्रतिनियोजन से सम्बन्धित कार्यालय के आदेश की प्रति जिला सुरक्षा समिति द्वारा प्रतिनियोजन हेतु लिए गये निर्णय के प्रति से सम्बन्धित अभिरक्षी पंजी के संधारण का अभाव पाया गया। जिससे सुरक्षा वल/अंगरक्षक प्रतिनियोजन से सम्बन्धित पुलिस राजस्व

के मांग संग्रहण एवं अवशेष के निर्धारण में अंकेक्षण को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ा।

अतः अंकेक्षण का सुझाव है कि वित्तीय वर्षवार सुरक्षा वल/अंगरक्षक प्रतिनियोजन से सम्बन्धित निर्गत आदेश की प्रति सुरक्षा समिति के निर्णय की प्रति समेकित रूप से संधारण, अभिरक्षी पंजी के संधारण हेतु आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

(2) कोषागार जमा पंजी – प्रस्तुत अभिलेखो के समीक्षा क्रम में विभिन्न पुलिस प्राप्तियों को कोषागार में जमा किए जाने से सम्बन्धित कोषागार जमा पंजी का संधारण नही किया पाया गया। परिणामतः कार्यालय द्वारा कोषागार में राशि जमा के सत्यापन में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ा। अनावश्यक रूप से कार्य दिवस अतिरिक्त व्यक्ति करना पड़ा।

अतः सुझाव है कि कोषागार जमा पंजी के समुचित संधारण हेतु आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

उप लेखा नियंत्रक
वित्त (अंकेक्षण) विभाग
बिहार, पटना

<u>मिलान एवं शुद्धिकर्त्ता का नाम एवं पदनाम</u>

1. मो0 ओबैदुल्लाह जावेद, व0अं0–2

अंकेक्षण में प्रस्तुत एवं अप्रस्तुत अभिलेखो की सूची :–

परिशिष्ट (क) प्रतिवेदन की कंडिका 1 (ट) से सम्बन्धित।

(क) प्रस्तुत अभिलेखो की सूची :–

(1) रोकड़ पुस्त (वित्तीय वर्ष 1997 से 12–13 तक)

(2) जिला सुरक्षा समिति की वैठक की संचिका (आंशिक)

(4) दखलदेहानी से सम्बन्धित संचिका (1997–98 से 12–13 तक)

(5) आर0 सी0 वुक (1997–98 से 12–13 तक)

(6) ट्रेस पुस्त (2006 से 12–13 तक)

(7) वैंक में प्रतिन्युक्त ससस्त्र वलो की गार्ड पंजी (09–10 से 12–13 तक)

(8) अंगरक्षक सम्बन्धित संचिका (2009 से 12–13 तक) आंशिक

(ख) अप्रस्तुत अभिलेखो की सूची :–

(1) राजस्व से सम्बन्धित, मांग, संग्रहण एवं अवशेष पंजी

(2) राजस्व रीमिटेन्स पंजी

(3) अंगरक्षक सम्बन्धित संचिका (1997–98 से 08–09 तक अवगत)

(4) सहायक रोकड़ पुस्त

(5) मांग एंव संग्रहन अभिलेख एवं आय–व्यय विवरणी।

वित्तीय वर्ष 97–98 से 12–13 का प्राप्त राजस्व की आय–व्यय विवरण

परिशिष्ट (ख) प्रतिवेदन की कंडिका 3 से सम्बन्धित।

क्र0	मद का नाम	वित्तीय वर्ष में प्राप्त राजस्व की राशि	कुल राशि आय	कोषागार में जमा राशि व्यय	शेष संवरण राशि
1	दखल देहानी	97–98	शून्य	शून्य	शून्य
2	वैंक सुरक्षागार्ड	,,	69073	69073	शून्य
3	वड़ीगार्ड	,,	शून्य	शून्य	शून्य
4	निलामी	,,	,,	,,	,,
5	चरित्र प्रमाण पत्र	,,	,,	,,	,,
1	दखल देहानी	98–99	15795	15195	शून्य
2	वैंक सुरक्षागार्ड	,,	47733	47733	X
3	वडी गार्ड	,,	X	X	X
4	निलामी	,,	X	X	X
5	चरित्र प्रमाण पत्र	,,	50	50	X
2	वैक सुरक्षा गार्ड	,,	77796	77796	X
1	दखल देहानी	99–2000	8755	8755	शून्य
2	बैक सुरक्षा गार्ड	,,	77796	77796	X
3	वडी गार्ड	,,	40349	40349	X
4	निलामी	,,	X	X	X
5	चरित्र प्रमाण पत्र	,,	X	X	X
1	दखल देहानी	2000–01	12181	12181	शून्य
2	बैंक सुरक्षा गार्ड	,,	81828	81828	X
3	वड़ी गार्ड	,,	X	X	X
4	निलामी	,,	X	X	X
5	चरित्र प्रमाण पत्र	,,	X	X	X

क्र0	मद का नाम	वित्तीय वर्ष में प्राप्त राजस्व की राशि	कुल राशि आय	कोषागार में जमा राशि व्यय	शेष संवरण राशि
1	दखल देहानी	01—02	15738	15738	शून्य
2	बैंक सुरक्षागार्ड	,,	157357	157357	x
3	वड़ीगार्ड	,,	x	x	x
4	निलामी	,,	x	x	x
5	चरित्र प्रमाण पत्र	,,	x	x	X
1	दखल देहानी	02—03	70102	70102	X
2	बैंक सुरक्षा गार्ड	,,	342257	342257	X
3	वड़ी गार्ड	,,	X	x	x
4	निलामी	,,	x	x	X
5	चरित्र प्रमाण पत्र	,,	x	x	X
1	दखल देहानी	03—04	शून्य	शून्य	शून्य
2	बैंक सुरक्षा गार्ड	,,	232923	232923	X
3	वड़ी गार्ड	,,	x	x	X
4	निलामी	,,	x	x	X
5	चरित्र प्रमाण पत्र	,,	x	x	X
1	दखल देहानी	04—05	60230	60230	x
2	बैंक सुरक्षा गार्ड	,,	47733	47733	x
3	वड़ी गार्ड	,,	x	x	X
4	निलामी	,,	x	x	X
5	चरित्र प्रमाण पत्र	,,	x	x	x
1	दखल देहानी	05—06	42257	42257	x
2	बैंक सुरक्षा गार्ड	,,	77044	77044	X
3	वड़ी गार्ड	,,	310500	310500	X
4	निलामी	,,	x	x	X
5	चरित्र प्रमाण पत्र	,,	x	x	x

क्र0	मद का नाम	वित्तीय वर्ष में प्राप्त राजस्व की राशि	कुल राशि आय	कोषागार में जमा राशि व्यय	शेष संवरण राशि
1	दखल देहानी	06–07	4551	4551	शून्य
2	बैंक सुरक्षागार्ड	,,	94254	94254	x
3	वड़ीगार्ड	,,	54787	54787	x
4	निलामी	,,	x	x	x
5	चरित्र प्रमाण पत्र	,,	x	x	X
1	दखल देहानी	07–08	19298	19298	X
2	बैंक सुरक्षा गार्ड	,,	123957	123957	X
3	वड़ी गार्ड	,,	186657	186657	x
4	निलामी	,,	x	x	X
5	चरित्र प्रमाण पत्र	,,	x	x	X
1	दखल देहानी	08–09	10548	10548	शून्य
2	बैंक सुरक्षा गार्ड	,,	3368235	3368235	X
3	वड़ी गार्ड	,,	186657	186657	X
4	निलामी	,,	x	x	X
5	चरित्र प्रमाण पत्र	,,	x	x	X
1	दखल देहानी	09–10	14618	14618	x
2	बैंक सुरक्षा गार्ड	,,	775956	5775956	x
3	वड़ी गार्ड	,,	649914	649914	X
4	निलामी	,,	1200	1200	X
5	चरित्र प्रमाण पत्र	,,	x	x	x
1	दखल देहानी	10–11	22955	22955	x
2	बैंक सुरक्षा गार्ड	,,	799602	799602	X
3	वड़ी गार्ड	,,	206310	206310	X
4	निलामी	,,	45000	45000	X
5	चरित्र प्रमाण पत्र	,,	2660	2660	x

क्र0	मद का नाम	वित्तीय वर्ष में प्राप्त राजस्व की राशि	कुल राशि आय	कोषागार में जमा राशि व्यय	संवरण शेष	अभ्युक्ति
1	दखल देहानी	11—12	2429	2929	X	
2	वैक सुरक्षा गार्ड	,,	602148	602141	X	
3	वड़ी गार्ड	,,	342930	342930	X	
4	निलामी	,,	x	x	X	
5	चरित्र प्रमाण पत्र	,,	340	340	X	
1	दखल देहानी	12—13	21488	21488	X	
2	वैक सुरक्षा गार्ड	,,	354372	354372	X	
3	वड़ी गार्ड	,,	x	x	X	
4	निलामी	,,	x	x	X	
5	चरित्र प्रमाण पत्र	,,	12310	12310	x	

पुलिस अधीक्षक का कार्यालय, मधुबनी।

परिशिष्ट (ग) कंडिका 4 से सम्बन्धित।   स्वीकृत एवं कार्यरत बलो की सूची :–

पद	स्वीकृत बल	कार्यरत बल	वेतन निकासी	धारित वेतन	निलंबित	प्राण आवंटित नहीं	एल0पी0सी0 अप्राप्त	रिक्ति	कुल
पुलिस अधीक्षक	1	1	1	–	–	–	–	–	1
अपर पुलिस अधीक्षक	1	1	1	–	–	–	–	–	1
पुलिस उपाधीक्षक	5	5	3	–	–	–	2	–	5
परिचारी प्रवर	2	1	1	–	–	–	–	1	2
सूबेदार	6	–	–	–	–	–	–	6	6
पुलिस निरीक्षक	16	16	13	–	–	–	3	–	16
सिविल जमादार	35	17	17	–	–	–	–	18	35
परिचारी	7	0	0	–	–	–	–	7	7
पुलिस अवर निरीक्षक	271	161	147	4	2	1	7	110	271
सहायक पुलिस अवर निरीक्षक	204	157	152	2	2	–	1	47	204
हवलदार	216	135	131	4	–	–	–	81	216
सिपाही	1125	686	657	25	3	1	–	439	11251

सिपाही कम्प्यूटर ऑपरेटर	20	—	—	—	—	—	—	20	20
प्रधान लिपिक	1	1	1	—	—	—	—	—	1
लिपिक	12	5	5	—	—	—	—	7	12
दफतरी	1	1	1	—	—	—	—	—	1
स्वीपर	3	1	—	1	—	—	—	2	3
चिकित्सा पदा0	1	1	1	—	—	—	—	—	1
कक्ष सेवक	2	2	2	—	—	—	—	—	2
स्वीपर	2	2	2	—	—	—	—	—	2
कुल —	**1931**	**1193**	**1135**	**36**	**7**	**2**	**13**	**738**	**1931**

भारतीय स्टेट बैंक झंझापुर के बकाया राजस्व प्रतिपूर्ति राशि विवरणी – कंडिका 5 परिशिष्ट (घ) से सम्बन्धित।

क्र0	वित्तीय वर्ष	प्रतिनियुक्त शसस्त्र वल	दर	कुल प्रतिदिन दर से शुल्क (राशि में)	कुल अवधि	कुल राशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	08–09	1–4	हवलदार–359.00 प्रतिदिन सिपाही – 345.00 ,, 345X4=1380+359=1739	1739.00	365	634735.00	हवलदार–269.00 यात्रा भत्ता 90 359 सिपाही–255 यात्रा भत्ता 90 345
2.	09–10	1–4	,,	1739.00	365	634735	
3	10–11	1–4	,,	1739	365	634735	
4	11–12	1–4	,,	1739	365	634735	
5	12–13	1–4	हवलदार–1029 प्रतिदिन सिपाही – 1023 ,, 1023X4=4092+1029 =5121	5121	365	1869165	हवलदार–879 यात्रा भत्ता 150 1029 सिपाही–873 यात्रा भत्ता 150 1023
6	13–14	1–4	,,	5121	365	1869165	
						6277270.00	

				11–12 12–13	सिपाही 873+150=102 5 (यात्रा भत्ता)	365	12592 5 37412 5 **89952** **15**	374125 **899215**		के अनुसार अप्रैल 06 से 7.6.09 तक निःशुल्क सुरक्षा बल प्रतिन्युक्त किए गए।
2	श्री हरख झा भूत पूर्व विधायक मधुवनी	x	1	4.5.4 से 31.3.05	सिपाही 255X90=345	332	84660		84660 .00	
3.	श्री जगत नारायण सिंह भूत पूर्व विधायक मधेपुर	x x 1	1 1 x	अप्रैल 10 से मार्च 11 तक 11–12 12–13	सिपाही 255+90=345 (यात्रा भत्ता 90.00) हवलदार–879 +150=1029 (150 यात्रा भत्ता)	365 365 365	12592 5 12592 5 37558 5	X X x	12592 5.00 12592 5.00 37558 5.00 **62743** **5.00**	
4.	श्री हरि प्रसाद साह भूत पूर्व विधायक लोकहा	x	1	अप्रैल 10 से मार्च 11 तक 11–12	सिपाही 255+90=345 " 873+150=102	365 365 365	12592 5 12592	X X x	125925 125925 374125	

				12–13	5		5 37412 5		62597 5.00	
5.	श्री हरिभूषण ठाकुर भूतपूर्व विधायक विचौल विस्की	x	1	10–11 11–12 12–13	सिपाही 255+90=345 ,,	365 365 365	12592 5 12592 5 37412 5 62592 5	X X x	125925 125925 374125 625925	
6	श्री रामनरेश पाण्डे भूतपूर्व विधायक हरलाखी	1	x	अप्रील 10 से मार्च 11 तक 11–12 12–13	हवलदार 269+90=359 प्रतिदिन (यात्रा भत्ता 90) ,, 879+150=1029	365 365 365	13103 5 13103 5 37558 5	X X x	131035 131035 375585 637655	
7	श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव भूतपूर्व सांसद मधुबनी	1 1	1 1	10.9.09 से मार्च 10 तक 10–11	हवलदार 269+90=359 सिपाही 255+90=345	183	12883		128832	पुलिस अधीक्षक कार्या0 के भावदीय ज्ञापांक 4303 एल

				11—12 12—13	704 (यात्रा भत्ता— 90.00) प्रतिदिन ,, ,, हवलदार 879+150=1029 सिपाही 873+150=<u>1023</u> 2052	 365 365 365	2 25696 0 25696 0 <u>37339</u> <u>5</u> **10614** **7**	X X X x	 256960 256960 <u>373395</u> **<u>101614</u>** **<u>7</u>**	2 दि0 28.7.09 के द्वारा लोकसभा चुनाव 09 में हार जाने के वाद अंगरक्षक को वापस करने को सूचित किया गया। परन्तु वापस नहीं किया।
					योग —		4517012		45,17,012	

श्री विनोद कुमार सिंह पूर्व विधान पार्षद के द्वारा भुगतान के आधार पर ली गई अंगरक्षक की बकाया राजस्व राशि की विवरणी।

कंडिका – 7 परिशिष्ट – (च) से सम्बन्धित।

क्र0	अंगरक्षक लेने वाला का नाम	शसस्त्र वलो की सं0	माह का नाम	कुल माह की सं0	दर	दिनों की सं0	
1	श्री विनोद कुमार सिंह माननीय सदस्य विधान सभा	1	अगस्त 05 से मार्च 06 तक	8	सिपाही--269 यात्रा भत्ता--90 359 प्रतिदिन	242	86878.00
	,,	1	अप्रैल 06 से मार्च 07 तक	12	,,	365	131035.00
	,,	1	अप्रैल 07 से मार्च 08 तक	12	,,	365	131035.00
	,,	1	अप्रैल 08 से मार्च 09 तक	12	,,	365	131035.00
	,,	2	अप्रैल 09 से मार्च 10 तक	12	359X2=718 ,,	365	262070.00
	,,	2	अप्रैल 10 से मार्च 11 तक	12	,,	365	262070.00

1004123.00

निष्प्रयोजित घोषित पुलिस वाहनो को निलामी नही होने के कारण राजस्व की क्षति की विवरणी :–

कंडिका –9 (छ) परिशिष्ट – (ज) से सम्बन्धित।

क्र0सं0	गाड़ी नम्बर	गाड़ी के प्रकार	मॉडल
1.	BR32D 7220	अपाचे मोटर साइकिल	2009
2.	BR32 7344	जीप	1999
3.	BR32 7346	,,	1999
4	BR32 7352	,,	1999
5	BR32E 9468	सुमो विक्टा	2010
6	BR1P 3606	जिप्सी	1999
7	BR32C 2080	व्रजवाहन	2004
8	BR32A 4474	मोटर साईकिल	2002

9	BR32A 4476	,,	2002
10	BR32A 4471	,,	2002

कंडिका – 6 परिशिष्ट – "ड़" से सम्बंधित।

अनाधिकृत रूप से नियम के विरूद्ध सरकारी अंगरक्षक रखने के कारण निर्धारित।

प्रतिपूर्ति राजस्व राशि वसूली की विवरणी – रू0 45,17012.00

क्र0	माननीय / महानु भावो का नाम	भुगतान के आधार पर सशस्त्र वलों की सं0		अवधि वर्षवार	दर प्रतिदिन के अनुसार	अवधि (दिनो में)	राशि	कोषागार में जमा राशि	कुल राशि	अभ्युक्ति
		हवलदार	सिपाही							
1	श्री राजकुमार सेठ भूर्त पूर्व विधायक मधुबनी	X	1	अक्टूवर 05 से मार्च 06 तक 06–07	सिपाही 255+90=345 (यात्रा भत्ता–90.00)	153 365	52785 125925	X	52785 125925	जिला पदा0 मधुबनी की अध्यक्षता में दि0 8.10.05 के आयोजित जिला सुरक्षा की बैंठक पारित आदेशानुसार जो व्यक्ति साधन सम्पन्न है उन्हे भुगतान के आधार पर अंगरक्षक उपलब्ध कराना है।
	माननीय भूतपूर्व मंत्री			1.7.09 से मार्च 10 तक 10–11	,, ,, ,,	274 365 365	94530 125925	94530 125925 125925		जिला सुरक्षा समति के आदेश के आलोक में ज्ञापांक 261 दि0–19.2.07